न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 312/2019 (179/18)
GCMS No. : 2018/00067

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. बंशीलाल पुत्र छोगाराम निवासी–चावण्डिया कलां जाति–सरगरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली, राज0।		1. शंकरलाल पुत्र छोगाराम सरगरा निवासी–ज्योतिनगर चानणा भाखर वार्ड संख्या 02 जोधपुर। 2. उगमराज पुत्र छगनलाल 3. नरपतराज पुत्र छगनलाल जातियान–सरगरा निवासीगण– लोकू रनिंग सेट, मैन गेट के सामने देवनदास का मकान, रामभवन, मैनगेट के सामने रंनिग सेट पुरानी लोकू के सामने जोधपुर। 4. राजू पुत्र छगनलाल जाति–सरगरा (चालक) कार्यालय उपवन संरक्षक बाघ प्रयोजना सरिस्का अलवर। 5. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 11/07/2018

उपस्थितः– 1. श्री भगवतीप्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री अनिल परिहार, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 12/10/2020

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा– चावण्डिया तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 450 रकबा 4–03 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसकी जमाबंदी संवत2070 से 2073 तक एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद के साथ संलग्न है जो वाद पत्र का एक भाग माना जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित वंशावली अनुसार स्वर्गीय छोगाराम के वारिसान एवं विधिक प्रतिनिधीगण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawa... Choudhary
Date: 2020.10.29 16:53
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खसरा संख्या 450 रकबा 4-03 बीघा कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 तक का 1/3 हिस्सा है। इसलिए हिस्से अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग मनागना कब्जा काश्त है और अपने-अपने हिस्से माफिक शान्तिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खसरा नंबर की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। जिसका कानूनी रूप से बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। शामलाती कृषि भूमि होने से वादी को अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि में काश्त करने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त खातेदारी होने से वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि में उचित किस्म की खेती करने हेतु खाद, बीज व मिट्टी आदि के लिए बैंक से ऋण लेने व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वादी के अपनी कृषि भूमि में सुधार करवाने एवं विद्युत कनेक्शन लेने में भी कठिनाई पैदा होती है। दिनांक 16.01.2018 को एवं दिनांक 20.06.2018 को राजस्व शिविर ग्राम-चावण्डिया में बंटवाड़ा करवाने हेतु कहा तो स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इसलिये कानूनी रूप से बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती कृषि भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बैचान बक्सीस हस्तान्तरण कर देते हैं। एवं वादी के हिस्से को हड़पने की नियत से तथा क्रेता शामलाती भूमि पर मनचाही जगह पर कीमती भूमि जो रोड़ के पास है तथा उपजाऊ भूमि है पर कब्जा कर लेते है तो वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। जो वादी ऐसा हरगिज नहीं करने देगा। यदि प्रतिवादीगण अपने उदेश्य में सफल हो जाते है तो मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तो वादी अपने जायज कानूनी हक हकूकों एवं मालिकाना साम्पेतिक अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत में संभव नहीं होंगी। प्रथमदृष्ट्तया मामला भी वादी के हकमें बखूबी साबित है। इस लिये प्रतिवादीगण द्वारा किया जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोके जाने हेतु वादी ने उक्त कृषि भूमि के विधिवत बंटवाड़ा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवा कर ही प्रवेश कर सकता है। जो राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित निर्णयों से भी स्पष्ट है। इसलिये बंटवाड्झ स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रतिवादीगया के विरूद्व पेश किया जा रहा है। जो आज ही नोटिस डिस्पेन्स विद किये जाने का आदेश फरमावे। बिनाय दावा दिनांक 20.06.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण को ग्राम-चावण्डिया में राजस्व शिविर में बंटवाड़ा करवाने एवं पेश करने का कहने पर प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया। और एलानिया धमकीदी कि शामलाती संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि को बिना कानूनी रूप से बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड्झ करवाये ही बैचान बक्सीस व रहन हस्तांतरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम चावण्डिया तहसील-जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है।

प्रतिवादी सं. 01 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ [illegible] दावा में वादी के वादपत्र के पद संख्या 01 से 08 को सही होने से स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara[illegible]
Choudhary
Date: 2020.10.29 16:53:10 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रेक) [illegible]

ने शहादत वादी के समर्थन में स्वयं वादी एवं गवाह के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये, प्रदर्श कराये गये, जो सामिल मिसल है। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं जवाब दावे का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत 2070-73 व 2074-2077 का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का 1/3 का बराबर हिस्सा है। वादी अपने हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा चाहता है। लिहाजा पक्षकारान् में माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का- चावण्डिया तहसील-जैतारण जिला-पाली में खसरा नंबर 450 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है, जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्से माफिक भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये गये हैं कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया गया हैं कि मौके पर उपस्थित रहे। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/332 दिनांक 13/03/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/20/3340 दिनांक 01/10/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का- चावण्डिया तहसील-जैतारण जिला-पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 450 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन बाई मिट्स एंड बाउंड निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Choudhary
Date: 2020.10.29 16:53:10 IS
Reason: SelfAttested

1.	बंशीलाल पुत्र छोगाराम कौम– सरगरा सा0 चावण्डिया कलाँ खातेदार	450	1-08	बारानी दोयम	0.43
2	शंकरलाल पुत्र छोगाराम कौम– सरगरा सा0 चावण्डिया कलाँ खातेदार	450/2	1-08	बारानी दोयम	0.43
3.	उगमराज नरपतराज राजू पि0 छगनलाल कौम सरगरा निवासी चावण्डिया कलाँ खातेदार।	450/3	1-07	बारानी दोयम	0.43
	योग	**3**	**4-03**		**1.29**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/10/2020 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.10.29 16:53:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

1. बंशीलाल पुत्र छोगाराम निवासी–चावण्डिया कलां जाति–सरगरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली, राज0।

1. शंकरलाल पुत्र छोगाराम सरगरा निवासी–ज्योतिनगर चानणा भाखर वार्ड संख्या 02 जोधपुर।
2. उगमराज पुत्र छगनलाल
3. नरपतराज पुत्र छगनलाल जातियान–सरगरा निवासीगण– लोकू रनिंग सेट, मैन गेट के सामने देवनदास का मकान, रामभवन, मैनगेट के सामने रंनिग सेट पुरानी लोकू के सामने जोधपुर।
4. राजू पुत्र छगनलाल जाति–सरगरा (चालक) कार्यालय उपवन संरक्षक बाघ प्रयोजना सरिस्का अलवर।
5. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0ःरा0वा0स0ः312/2019(179/18)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री अनिल परिहार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व मौजा– ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का– चावण्डिया तहसील–जैतारण जिला–पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 450 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	बंशीलाल पुत्र छोगाराम कौम– सरगरा सा0 चावण्डिया कलाँ खातेदार	450	1-08	बारानी दोयम	0.43
2	शंकरलाल पुत्र छोगाराम कौम– सरगरा सा0 चावण्डिया कलाँ खातेदार	450/2	1-08	बारानी दोयम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara R
Choudhary
Date: 2020.10.29 16:53:10 IST
Reason: SelfAttested

3.	उगमराज नरपतराज राजू पि० छगनलाल कौम सरगरा निवासी चावण्डिया कलाँ खातेदार।	450/3	1-07	बारानी दोयम	0.43
	योग	3	4-03		1.29

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... –......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/10/2020 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर जैतारण (पाली) राज० (seal)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (stamp)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	03–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	06–00	मिजानः–	03–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara R... Choudhary
Date: 2020.10.29 16:53:10 IST
Reason: SelfAttested